अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/05

1. जसवंत सिंह पुत्र स्व0 श्री भवानी सिंह ।
2. बजरंग सिंह पुत्र स्व0 श्री भवानी सिंह ।
3. कैलाश कंवर पुत्री स्व0 श्री भवानी सिंह ।
4. हेम कंवर पुत्री स्व0 श्री भवानी सिंह ।
5. श्रीमती सज्जन कंवर बेवा स्व0 श्री भवानी सिंह जाति राजपूत निवासीगण खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——**अपीलार्थी**

बनाम

1. श्याम मनोहर पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल ।
2. दिनेश चन्द पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल ।
3. मोहन बाई पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल ।
4. श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व0 श्री मांगी लाल जाति कलाल निवासीगण खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकानर जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——**प्रत्यर्थी**

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 136/दावा/2015

1. जसवंत सिंह पुत्र स्व0 श्री भवानी सिंह ।
2. बजरंग सिंह पुत्र स्व0 श्री भवानी सिंह ।
3. कैलाश कंवर पुत्री स्व0 श्री भवानी सिंह ।
4. हेम कंवर पुत्री स्व0 श्री भवानी सिंह ।
5. श्रीमती सज्जन कंवर बेवा स्व0 श्री भवानी सिंह जाति राजपूत निवासीगण खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. श्याम मनोहर पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल ।
2. दिनेश चन्द पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल ।
3. मोहन बाई पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल ।
4. श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व0 श्री मांगी लाल जाति कलाल निवासीगण खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकानर जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 08.01.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बी0 सी0 मालवीय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री गोपाल दत्त शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा में मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 08.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

8/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/05

1. जसवंत सिंह पुत्र स्व0 श्री भवानी सिंह ।
2. बजरंग सिंह पुत्र स्व0 श्री भवानी सिंह ।
3. कैलाश कंवर पुत्री स्व0 श्री भवानी सिंह ।
4. हेम कंवर पुत्री स्व0 श्री भवानी सिंह ।
5. श्रीमती सज्जन कंवर बेवा स्व0 श्री भवानी सिंह जाति राजपूत निवासीगण खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्याम मनोहर पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल ।
2. दिनेश चन्द पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल ।
3. मोहन बाई पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल ।
4. श्रीमती कंचन बाई पुत्री स्व0 श्री मांगी लाल जाति कलाल निवासीगण खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकानर जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बी0सी0 मालवीय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री गोपाल दत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम खैराबाद में कुल 3.3 हैक्टर भूमि स्थित है । संयुक्त आराजीयात में से खसरा नम्बर 2824 रकबा 0.09 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण कम 1 से 4 के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2827 रकबा 04 बीघा से लगी हुई है । प्रतिवादीगण कम 1 से 4 द्वारा

विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2824 के करीब डेढ बीघा भूमि पर अतिचार कर कब्जा कर रखा है जो बेदखली का पात्र है । सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रेस में तरमीम को ध्यान में न रखते हुए मौके की स्थिति से भिन्न जाकर गलत नक्शा ट्रेस का अंकन कर दिया है जो वादीगण को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है । सेटलमेंट कर्मचारियों को नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा रकबा से भिन्न परिवर्तन कर दिया हे जो गलत व अवैधानिक है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 को वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बर 2824 से बेदखल किया जा कर कब्जा वादीगण को संभलाया जावे तथा नक्शा ट्रेस में आराजीयात के रकबे अनुसार परिवर्तन किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया जिसमें धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की प्रार्थना पर कोई आदेश पारित नहीं किया है बल्कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट को अतिचारी मानते हुए भूमि की पैमाईश कर बेदखल के आदेश पारित किये हैं जबकि नक्शा ट्रेस में खातेदारी की भूमि के रकबा अनुसार परिवर्तन नहीं किया जावेगा तब तक प्रतिवादीगण को उसके द्वारा अतिक्रमण की गई आराजी से कैसे बेदखल किया जावेगा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की इजराय हेतु पटवारी हल्का खैराबाद से सम्पर्क करने पर दिनांक 01.12.2017 को जानकारी प्राप्त हुई कि नजरी नक्शा ट्रेस में परिवर्तन नहीं होगा तब तक डिक्री की पालना किया जाना संभव नहीं है । अपीलान्ट ने उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने इन तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 2824 रकबा 0.09 हैक्टर भूमि ग्राम खैराबाद में स्थित है जो अपीलान्ट के खाते की है । इस भूमि के समीप प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 2827 रकबा 04 बीघा भूमि स्थित है । प्रतिवादी ने बादी की 02 बीघा आराजी पर अतिक्रमण कर रखा है । सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर गलत

नक्शा ट्रेस बनाया है । अपीलान्ट ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया है जिसे कैम्प खैराबाद में रखा गया और दावे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बदेखल का आदेश पारित किया है परन्तु धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । नक्शा ट्रेस में खाते में दर्ज आराजी के अनुसार संशोधन किया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट अपने खाते की आराजी पर काबिज है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था जिसमें वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा संभलाने एंव मूल नक्शे में संशोधन की प्रार्थना की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने दाव वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर बेदखली की डिक्री पारित की है। अपीलान्ट ने अपनी में मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि नक्शा ट्रेस में संशोधन के बाबत् धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में कोई सहायता अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदान नहीं की है । इस कम में हमारा विनम्र मत है कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत किसी प्रकार की सहायता यदि परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं दी गई है तो उनको न्यायालय संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सक्षम न्यायालय में अपील पेश की जानी चाहिए । इस न्यायालय को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है ।

12. तद्नुसार अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा में मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2017 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है ।

13. निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/1/19

(भार्गवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा